R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 6
दिसंबर 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

वर्ष 2006 के दौरान महत्वपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियां

जनवरी

- सुविधाहीन तथा बैंक-रहित आबादी के लिए बचत एवं ऋण सुविधाएँ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से बैंको को सूचित किया गया कि वे वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में मध्यस्थ के रू प में गैर सरकारी संगठनों,स्वयं सहायता समूहों,व्यष्टि वित्त संस्थाओं एवं अन्य नागरिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करें। यह मध्यस्थ कारोबारी सुविधादाताओं/संपर्ककर्ताओं के रूप में काम करेंगे।
- बैंकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि वे आदाता खाता चेक की आय को आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा न करें।
- शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे कंप्यूटरों पर प्रति वर्ष 33 प्रतिशत की दर से सीधी रेखा पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास प्रभारित करें।
- विनिर्माण कार्यकलापों में लगी बहुराज्य सहकारी समितियों को यह अनुमति दी गयी कि वे अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटायें बशर्ते, समिति वित्तीय रूप से शोधक्षम है, समिति अपना अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत करती है और उनका यह प्रस्ताव बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अन्य मानदंडों का पालन करता है।
- लघु उद्यम वित्तीय केंद्रों के लिए बैंक की शाखाओं और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) की शाखाएं जो एक ही स्थान पर हैं के बीच अनुकूल संबंध हेतु एक योजना बनायी गयी।

फरवरी

- मानक परिसंपत्तिओं के प्रतिभूतिकरण पर सभी बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किये गये।
- बैंकों को सूचित किया गया है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन राज्य विद्युत बोर्डों के द्विशाखन/पुनर्निर्माण से उत्पन्न विद्युत वितरण निगमों/कंपनियों को दिए गये ऋण का कृषि के लिये अप्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकरण करें।
- छोटे उधारकर्ताओं को शहरी सहकारी बैंकों के साथ अपने अनर्जक परिसंपत्ति लेखा का निपटान करने के लिए एक अवसर प्रदान करने और नये वित्त हेतु पात्र बनने के लिए राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया गया कि वे ऋणों के एकबारगी निपटान के लिये एक सरलीकृत व्यवस्था अधिसूचित करने पर विचार करें जहां मूलधन की राशि 25,000 रुपये के बराबर अथवा कम है और जो 30 सितंबर 2005 तक संदिग्ध तथा हानिवाली परिसंपत्ति है।
- कतिपय पात्रता मानदंडों का पालन करने वाले भारतीय तथा विदेशी,दोनों बैंकों को विभागीय रू प से प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों एवं प्राथमिक व्यापारियों को अनुषंगी बाजार में उसी कारोबारी दिन के भीतर सीधे खरीद वाली शर्तों के अधीन केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ जो उनके स्वामित्व में नहीं हैं में आंतर-दिवस अल्प बिक्री की अनुमति दी गई।
- एकल शाखा-सह-प्रधान कार्यालय अथवा एक ही जिले में बहु-शाखाओं वाले,100 करोड़ रु पए अथवा उससे कम की जमा राशि आधार वाले गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को उनकी माँग और मीयादी देयताओं (डीटीएल)के 15 प्रतिशत तक निर्धारित परिसंपत्तियों में सांविधिक चल-निधि अनुपात(एसएलआर) बनाए रखने से छूट दी गई बशर्ते वह राशि भारतीय स्टेट बैंक,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक(आइडीबीआइ)लि. में जमा की गई हो। यह छूट 31 मार्च 2008 से लागू होगी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे काला धन निवारक अधिनियम,(पीएमएलए)2002 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत 1 जुलाई 2005 को अधिसूचित विनियमों के अनुपालन के लिए भी आवश्यक समझे जाने वाले उपाय शुरु करें। इन विनियमों में लेन-देन के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना का संरक्षण और वित्तीय आसूचना इकाई,वित्त मंत्रलय को रिपोर्टिंग शामिल है।

मार्च

- साख-पत्र (एलसी) के अंतर्गत भुनाए गए बिलों के लिए जोखिम भार तथा निवेश मानदंडों को संशोधित किया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि भू-संपदा वाले ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय यह सुनिश्चित करें कि उधारकर्ता ने परियोजना के लिए सरकार/स्थानीय सरकार/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली है।
- शहरी सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि आभूषणों पर अग्रिम प्रदान करते समय प्रमाणांकित (हॉलमार्क्ड) आभूषणों के लाभों को ध्यान में रखें और उन पर मार्जिन तथा ब्याज दरें निर्धारित करें।
- उन अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं तथा उन शहरी सहकारी बैंकों को जो राज्य अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं जहां संबंधित

राज्य सरकारों ने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुये विनियामक समन्वय का आश्वासन दिया है, मुद्रा तिजोरी सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे चेकों में माइकर बैंड के ठीक ऊपर, अधिमानतः चेक की क्रम संख्या के ऊपर अपनी शाखा का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आइएफएससी) मुद्रित करें।
- आम आदमी को विदेशी मुद्रा सहज उपलब्ध कराने तथा प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने की दृष्टि से गैर व्यापार से संबंधित कतिपय चालू खाता लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने/ विप्रेषित करने हेतु चयनित संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों, शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लाइसेन्स दिये गये। ऐसी संस्थाओं को प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी II कहा जाएगा।
- बैंकों का सूचित किया गया कि 31 मार्च 2006 के पहले किसानों के खातों में 2005-06 के लिए खरीफ और रबी के फसल ऋण पर एक लाख रुपये तक स्वीकृत मूलधन की राशि पर दो प्रतिशत बिंदुओं का ब्याज राहत जमा करें।
- शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे पेपर बैंड से सुरक्षित नोट पैकेटों को स्वीकार करने हेतु आम जनता के मन में विश्वास पैदा करने के लिए अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु अपनी शाखाओं के भुगतान काउंटरों पर दुहरे प्रदर्शन वाली नोट गणना मशीनें स्थापित करें।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को,सांविधिक चल-निधि अनुपात प्रतिभूतियों में उनके निवेश के संबंध में ज्मार्क टू मार्केटट मानदंडों से दी गई छूट को वर्ष 2006-07 तक बढ़ाया गया।
- परिपक्वतावाली सभी विदेशी मुद्रा अनिवासी(बैंक) खाता की जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा 25 आधार बिन्दुओं तक ज्लिबोर/स्वैप दरों से 25 आधार बिन्दु कम रखते हुएटजो ज्लिबोर/स्वैप दरों से अधिक नहीं हैट,बढ़ाई गई।

अप्रैल

- राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए जाने को देखते हुए प्राथमिक व्यापारी (पीडी) का कारोबार करनेवाले प्राथमिक व्यापारियों और बैंकों के लिए हामीदारी प्रतिबध्दता और चलनिधि सहायता की संशोधित योजना पर दिशानिर्देश जारी किए गए। प्राथमिक व्यापारियों के लिए नीलामी प्रतिबद्धता को एक दायित्व के रू प में जारी नहीं रहने के अनुसारण में रिजर्व बैंक की चल-निधि सहायता योजना के अंतर्गत सीमाओं की गणना की पद्धति को भी संशोधित किया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि मुर्गी-पालन उद्योग को स्वीकृत कार्यशील पूँजी ऋणों के मूलधन और उस पर देय ब्याज तथा सावधि ऋणों की किस्तें और ब्याज जो बर्ड-फ्लू के शुरु होने अर्थात् 1 फरवरी 2006 या उसके बाद से भुगतान के लिए बकाया हैं और अदत्त बने हुए उन्हें सावधि ऋणों के रूप में परिवर्तित किया जाए।
- प्रधिकृत व्यापारियों को एक मिलियन अमरीकी डॉलर तक की निर्यात राशियों की वसूली के लिए निर्धारित अवधि में छह माह से भी ज्यादा विस्तार देने की अनुमति प्रदान की गई।
- प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा भारतीय निकायों के शाखा कार्यालयों के आरंभिक और आवर्ती व्यय के लिए पिछले दो लेखा वर्ष के दौरान उनकी वार्षिक औसत बिक्री आय अथवा पण्यावर्त के क्रमशः 10 और 5 प्रतिशत तक विप्रेषण करने की अनुमति प्रदान की गई।
- अधिकार प्राप्त समितियों (इसी) से अनुमति लेने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपना कार्यालय खोलने/उनका स्थान बदलने की अनुमति दी गई।
- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजकों से कहा गया कि वे "नो-फ्रिल्स" खाते और सामान्य प्रयोजन के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हुए 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के कम-से-कम एक जिले का निर्धारण करें।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे विभिन्न सेवा प्रभारों के ब्योरे अपने कार्यालयों/ शाखाओं में तथा अपनी वेबसाइटों पर भी प्रदर्शित करें और उसे अद्यतन रखे।
- सुव्यवस्थित अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चयनित कार्य-स्थल से दूर/कार्यस्थल पर एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गयी।
- एक से तीन साल की परिपक्वता अवणि वाली अनिवासी(बाह्य) रु पया जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा उसी अवधि के लिए अमरीकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप से अधिक, 25 आधार बिंदु से बढ़ाकर 100 आधार बिंदु कर दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर की सीमा बढ़ाकर लिबोर के 25 आधार बिंदु तथा लिबोर से 100 आधार बिंदु तथा 75 आधार बिंदु कर दी गई है।

मई

- बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि मुर्गी-पालन उद्योग की विशिष्ट श्रेणियों के लिए राहत उपायों से संबंधित ब्याज सहायता की गणना 31 मार्च 2006 तक बकाया सावधि ऋणों और कार्यशील पूँजी ऋणों पर चार प्रतिशत बिन्दु की दर से की जाए।
- वाणिज्यिक भू-संपदा के लिए बैंकों के निवेश पर जोखिम भार 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया गया।
- बैंकों को सूचित किया गया कि उद्यम के लिए पूँजी निधि में उनका कुल निवेश उनके पूँजी बाजार निवेश का एक भाग होगा तथा इन निवेशों के किए 150 प्रतिशत का एक उच्चतर जोखिम भार समनुदेशित किया जाएगा।
- विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात्, व्यक्तिगत ऋण, पूँजी बाज़ार निवेश के योग्य ऋण एवं अग्रिम, 20 लाख रुपये से अधिक के रिहायशी आवास ऋण तथा वाणिजिक ऋण-संपदा ऋण में मानक अग्रिमों पर बैंकों के लिए सामान्य प्रावधानीकरण अपेक्षा को पहले के 0.40 प्रतिशत स्तर से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत किया गया।
- केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में जब जारी (व्हेन इश्यूड) लेन-देन में तयशुदा लेन-देन प्रणाली खुला बाज़ार (एनडीएस-ओएम) सदस्यों के प्रवेश की अनुमति देते हुए दिशानिर्देश जारी किए गए जो जारी करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं परन्तु वास्तव में जारी नहीं किए गए।
- सरकारी कारोबार के किए एजेंसी कमीशन दरों को संशोधित किया गया प्रत्येक लेन-देन के लिए प्राप्ति और पेन्शन भुगतान क्रमशः 45 रुपये और 60 रुपये की दर से किया जाएगा। प्रत्येक 100 रुपये पण्यावर्त के लिए गैर-पेन्शन भुगतान 9 पैसे होगा।

जून

- केंद्रीय सरकार बजट 2006-07 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार, किसानों को उपलब्ध कराए गए 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध कराएगी।
- बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया कि वे अस्थिर दरवाली विदेशी मुद्रा देयताओं में नवोन्मेषी टायर I/टायर II

बाँडों से संबंधित नियत दर रूपया देयताओं के परिवर्तन को शामिल करनेवाले अदला-बदली (स्वैप) लेन-देन में शामिल न हों।

- चल-निधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की वृध्दि करते हुए इसे 5.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत किया गया।
- चल-निधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार बिन्दुओं की वृध्दि करते हुए इसे 6.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.75 प्रतिशत किया गया।
- रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों (पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्वीकृत चल-निधि सहायता) को उपलब्ध करायी गई स्थायी चल निधि सुविधाएं 9 जून 2006 से रिपो दर अर्थात् 6.75 प्रतिशत की दर से उपलब्ध होंगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2006 को अधिनियमित किये जाने के फलस्वरुप देश में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकताओं के संबंध में रिज़र्व बैंक बिना किसी न्यूनतम नियत दर अथवा उच्चतम दर के अनुसूचित बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) निर्धारित कर सकता है। कुल मांग और सावधि देयताओं के 3 प्रतिशत तक अपेक्षित सांविधिक न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात 22 जून 2006 से लागू नहीं होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक 24 जून 2006 के शुरुआती पखवाड़े से बैंकों द्वारा रखी गई आरक्षित नकदी निधि अनुपात की राशियों पर कोई ब्याज का भुगतान नही करेगा।
- रिज़र्व बैंक द्वारा 24 जून 2006 के शुरुआती पखवाड़े से बैंकों पर दण्डात्मक ब्याज प्रभारित करेगा यदि वे दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने में चूक करते हैं।
- उपयोगिता, सृजन, अस्थायी प्रावधानों अर्थात, प्रावधान जो विशिष्ट अनर्जक परिसंपत्तियों के संबंध में नहीं बनाए गए हैं अथवा जो मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों के लिए विनियामक अपेक्षा से अधिक नहीं हैं,पर बैंकों को संशोधित मानदंड जारी किए गए।

जुलाई

- राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)/ आवास और शहरी विकास निगम (एचयूडीसीओ) द्वारा जारी बाँडों में 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अन्तर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।
- बैंकों को कहा गया कि वे इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक पर्स योजनाओं के साथ न जुड़ें जिनका स्वरूप जमाराशियां स्वीकार करने जैसा है जो कभी भी मांग पर आहरित की जा सकती हैं।
- एकल प्राथमिक व्यापारियों को सरकारी प्रतिभूतियों के वर्तमान कारोबार के अतिरिक्त अपनी गतिविधियों में विधिता लाने की अनुमति प्रदान की गयी।
- बैंकों को कहा गया कि वे ग्राहकों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने की सुविधा देने हेतु अपनी वेबसाइट के होम-पेज पर एक शिकायत फॉर्म उपलब्ध करायें तथा शिकायत निवारण के लिए संपर्क (नोडल) अधिकारी का नाम दें।
- 25 जुलाई 2006 की द्वितीय चलनिधि-समायोजन सुविधा से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार बिंदु की वृद्धि करते हुए नियत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर को 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.00 प्रतिशत किया गया।
- 25 जुलाई 2006 को द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा से चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नियत रिपो दर में संशोधन करते हुए इसे 7.00 प्रतिशत किया गया।
- रिज़र्व बैंक से बैंकों (पुनर्वित्त के लिए पात्र निर्यात ऋण) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विक चलनिधि सहयोग) को उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिपो दर अर्थात् 7.00 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।

अगस्त

- बाहरी निवेशकों के लिए ग्राहक सेवा को और सुधारने हेतु बैंकों को कहा गया कि वे निवेशकों को उनके द्वारा चयनित स्थान पर राहत/ बचत बांडों का छमाही ब्याज/मूलधन का भुगतान करें। यह भुगतान बैंक द्वारा निशुल्क मांग ड्राफ्ट अथवा उनकी सभी शाखाओं पर देय "सममूल्य" पर चेक जारी करके किया जाए।
- उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ) में बैंकों के निवेश को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण ढांचे का संशोधन किया गया।
- बैंकों द्वारा इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों पर सेवा प्रदान करने के लिए पहले से अनुमति प्राप्त लोकल करेंसी प्रोडक्ट के अतिरिक्त इंटरनेट आधारित विदेशी मुद्रा सेवाएं अंतर्निहित लेनदेनों के लिए प्रदान करने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी।
- बैंकों द्वारा दी जानेवाली रिलीफ उपायों पर जारी किए गए अतिरिक्त दिशानिर्देशों को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भी लागू किया गया।

सितंबर

- बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के समग्र लक्ष्य तथा कमज़ोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के उप लक्ष्य के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों को भी ऋण का समान भाग प्रदान किया जाए।
- शाखाओं में ग्राहकों को उपलब्ध सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि खाता धारकों को जारी की गयी पास बुक/ लेखा-विवरणों में शाखा का पूरा पता/टेलीफोन नंबर अनिवार्यतः दिया जाये।
- रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि अधिस्थगन, अधिकतम चुकौती अवधि, पुनर्निधारित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक तथा नए वित्त के आस्ति वर्गीकरण के संबंध में अनुदेश उद्योग, व्यापार और कृषि खातों सहित प्रभावित सभी पुनर्निर्धारित उधार खातों पर लागू होंगे।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) स्थापित करने अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाईयां अर्जित करने वाली संस्थाओं में जिसमें भू-संपदा भी शामिल है, बैंकों के निवेश को वाणिज्यिक भू-संपदा क्षेत्र में निवेश माना जाएगा। बैंक इसके लिए प्रावधान करने के साथ-साथ ऐसे निदेशों के लिए समुचित जोखिम भार भी समनुदेशित करें।
- निष्पक्ष व्यवहारों पर जारी किए गए दिशा निर्देश गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित) द्वारा स्वीकार किए जाएं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे इन दिशानिर्देशों पर आधारित एक निष्पक्ष व्यवहार संहिता तैयार करें और इसे अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित करा लें।

अक्तूबर

- अनिवार्य रूप से अपने सभी बचत खाताधारकों (व्यक्ति) को पासबुक सुविधा प्रदान के लिए बैंकों को कहा गया। यदि बैंक लेखा विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है और ग्राहक इस सुविधा को प्राप्त करना चाहता है तो बैंकों को अनिवार्यतः मासिक लेखा विवरण जारी करना चाहिए।
- प्राथमिक व्यापारी का कारोबार कर रहे/प्रारंभ करनेवाले बैंकों के लिए परिचालनीय दिशा-निर्देश जारी किये गये।
- बैंकों को कहा गया कि उनके द्वारा जारी गारंटी में गारंटी के लाभार्थी से नियंत्रक कार्यालय / प्रधान कार्यालय से पुष्टिकरण मांगने की बाध्यता के संबंध में शर्त रखना अनिवार्य नहीं है।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

- रिपो दर को 7.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.25 प्रतिशत किया गया।
- रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारियों को उपलब्ध स्थायी चलनिधि सुविधाएं रिपो दर अर्थात् 7.25 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।
- नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन की पूर्व सूचना आम जनता को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा तथा अंतरणकर्ता अथवा अंतरिती या संबंधित पक्षों द्वारा संयुक्त रू प से दी जाए।

नवंबर

- बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देश घोषित।
- भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत म्यूचुअल फंडों द्वारा विदेशी निवेशों की सकल सीमा को 2 विलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 3 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया।
- विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्थाओं को दी जाने वाली ऋण और फणेत्तर सुविधाओं पर विवेकपूण सीमा को अक्षत पूंजी निधियों के 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
- विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले को अपनी विदेशी मुद्रा आय के 100 प्रतिशत के बराबर राशि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में रखने की अनुमति प्रदान की गयी।
- 300 मिलियन अमरीकी डालर तक की विदेशी वाणिज्यिक उधार का पुर्वभुगतान रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बगैर करने की अनुमति दी गयी।
- निवासी और अनिवासी के बीच किसी कांट्रेक्ट से उत्पन्न प्रत्यक्ष संविदागत देयता को सुरक्षित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को 100,000 अमरीकी डालर तक के सेवाओं के आयात के लिए गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी बशर्ते वास्तविक लेन-देन संतोषप्रद हों और सेवाओं के आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हों।
- अचल संपत्ति की बिक्री प्राप्तियों के विप्रेषण के लिए 10 वर्ष की अवरुद्ध अवधि (लॉक इन पीरियड) को समाप्त कर दिया गया। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक अनिवासी सामान्य खाते की शेष राशि में से अचल संपत्ति की बिक्री प्राप्तियों सहित विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते किसी वित्तीय वर्ष में विप्रेषित राशि एक मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं है।
- समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में पंजीकृत और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को अपने वर्तमान विस्तार काउंटरों को संपूर्ण रूप से शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई।
- 'जब जारी' (व्हेन इश्यूड) व्यापार को एक चयनित आधार पर केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के नये निर्गमों तक बढ़ाया गया।

दिसंबर

- आयातकों को अपने आयात के सीमा शुल्क संघटक के लिए वायदा संविदा बुक करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे चेक ड्रॉप-बॉक्स पर निरंतर यह प्रदर्शित करें कि ग्राहक काउंटर पर भी चेक जमा कर सकते हैं और भुगतान पर्चियों पर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। यह संदेश अंग्रेजी, हिंदी और राज्य की संबंधित क्षेत्रीय भाषा में प्रदर्शित किया जाए।
- आयातकों/निर्यातकों द्वारा निवेश की घोषणा के आधार पर तथा पात्र सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक के विगत कार्यनिष्पादन के आधार पर बुक की गई वायदा संविदा सुपुर्दगी आधार पर हो और इसे निरस्त नहीं किया जाए।
- बैंकों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात उनकी निवल माँग एवं सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत बिन्दु के आधा तक बढ़ाया गया। 23 दिसंबर 2006 के शुरूआती पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत और 6 जनवरी 2007 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात को बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत तक किया जाएगा।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

अपने सभी पाठकों के लिए

सुखी और समृद्ध

नव वर्ष की कामना करता है

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पुनवर्गीकरण के अनुसरण में उत्पादक/ आर्थिक गतिविधि के लिए वास्तविक/ भौतिक परिसंपत्ति वित्त प्रदान करनेवाली कंपनियों को/ परिसंपत्ति वित्त कंपनी (एएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। शेष कंपनियों को ऋण/निवेश कंपनियों के रूप में वर्गीकरण करना जारी रहेगा।
- कंपनियों को, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 500 मिलियन अपरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा के अतिरिक्त अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 10 वर्ष से अधिक की औसत परिपक्वता वाली 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतितिक्त राशि को बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) के रूप में प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
- निवासी व्यक्तियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25,000 अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा के बदले किसी चालू अथवा पूँजी खाता लेन-देन के लिए अथवा दोनों के संयुक्त रूप में 50,000 अमरीकी डॉलर तक विप्रेषित करने की अनुमति दी गई।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जोखिम की हिस्सेदारी के बिना और प्रारंभिक दो वर्षों के लिए पारस्परिक निधि उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए बैंकों के साथ को-ब्रॉंडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई।
- प्रतिभूति बाजारों अर्थात शेयर बाजारों,निक्षेपागारों एवं समाशोधन निगमों में सेबी विनियमों के अनुपालन में(i)26 प्रतिशत सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और 23 प्रतिशत सीमा तक विदेशी संस्थागत निवेश के साथ 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश,(ii)विदेशी निवेश संबर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश; तथा अनुषंगी बाजार में केवल खरीद के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेश के अधीन मूलभूत सुविधा कंपनियों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**